न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

2

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 364 सन 2018

अनवान :–

1. जसवन्तसिह 2 विनोद कुमार पि0 मदनलाल उर्फ मदन गोपाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3 गिरदावरी पत्नी मदनलाल उर्फ मदन गोपाल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर।
4. रामकिशन पुत्र गुगनराम जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. शान्ति 2 बिदामी 3 गौरा 4 तुलछा पुत्रिया गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5 मन्जू 6 सुनीता पुत्रीया मनदलाल उर्फ मदन गोपाल जाति जाट साकिन असरजाना तहसील नोहर ।
7. मदनलाल उर्फ मदन गोपाल जाति गुगनराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर ।
8. मैनेजर एचडीएफसी बैक शाखा ऐलनाबाद
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 16/8/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 26/25 की कुल 14.2400हैक भूमि वादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से दर्ज है पूर्व में वाद भूमि वादी के पूर्वज गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गुगनराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा /ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पुर्वज के पूर्वज गुगनराम के नाम से दर्ज थी गुगनराम के देहानत होने क बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद भूमि उसके पुत्र /पुत्रीया के नाम से दर्ज हुई है गुगनराम के पुत्र मदनलाल उर्फ मदन गोपाल के वादीगण संख्या 1 ता 3 एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जाजय वारिसान है इसप्रकार गुगनराम की भूमि के जायज व कानुनी वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं पतिवादी संख्या 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा असरजना के खाता संख्या 26/25 की कुल 14.2400हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 का सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 4 को 1/2 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/6 हिस्सा मदनलाल उर्फ मदन गोपाल के नाम यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/8/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official